

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ 3(1)(5)निर्वाचन/2014 / 3878

जयपुर, दिनांक 27/3/14

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:- प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

SA
JSMF

विषय:- लोकसभा आम चुनाव, 2014- आदर्श आचार संहिता - चिकित्सा शिक्षा विभाग में डायनेमिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (डीएसीपी) के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

प्रसंग:- आपका अ.शा.टीप क्रमांक प.1(16)/चिशि./2013 दिनांक 12.03.2014 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग में डायनेमिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (डीएसीपी) के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने की कार्यवाही को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक स्थगित रखा जावे।

भवदीय,



(पी.सी.गुप्ता)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर